



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225268
CG-DL-E-19022021-225268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]
No. 709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 774 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 25 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी में, क्रम संख्यांक 1 के सामने अधिकारी का नाम, पदनाम और पता से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“श्री पंकज कुमार,

कार्यकारी निदेशक (कार्य) के अतिरिक्त उत्तरदायित्व के साथ कार्यकारी निदेशक (परियोजना),

राउरकेला स्टील प्लांट,

राउरकेला-769011”।

[फा. सं. 8(7)/2014-सेल-पीसी]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में का.आ. सं. 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 1124(अ), तारीख 20 फरवरी, 2019 और का.आ. सं. 1557(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2020 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O.774(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Steel number S.O. 1149(E), dated the 21st April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th April, 2014, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 1 for the entries under column (2) relating to name, designation and address of officer, the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri Pankaj Kumar,

Executive Director (Projects),

with additional responsibility of

Executive Director (Works),

Rourkela Steel Plant,

Rourkela – 769011”.

[F. No. 8(7)/2014-SAIL-PC]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1149 (E), dated the 21st April, 2014 and subsequently amended vide number S.O. 1124 (E), dated the 20th February, 2019 and number S.O. 1557 (E), dated 28th April, 2020.